न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० 12005 पुनरीक्षण 896-II/05

(1) फूलवती पत्नी स्व. मुरारीलाल
(2) दिलीप कुमार पुत्र मुरारीलाल
मृत मुरारीलाल पुत्र हरप्रसाद ब्राह्मण
निवासी कस्बा लहार तहसील लहार
जिला भिण्ड ------ आवेदक

विरुद्ध

1- मोहनलाल पुत्र मुरारीलाल
निवासी कस्बा लहार तहसील लहार
जिला भिण्ड

2- मध्य प्रदेश शासन ----- अनावेदकगण

अपर आयुक्त चम्बल संभाग व्दारा प्रकरण क्रमांक 712002-2003 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-4-2005 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

महोदय आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनियमित तथा अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि प्रकरण में जिस भूमि को व्यपवर्तित मानकर आदेश दिये गये हैं, आवेदक उसका स्वामी तथा आधिपत्यधारी है । अनावेदक-1 का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । अपर आयुक्त ने उनके समक्ष आवेदक व्दारा प्रस्तुत आपत्तियों तथा प्रकरण के अभिलेख को देखे बिना विवादित आदेश पारित करने में अपने विचाराधिकार का उचि प्रयोग नहीं किया है ।

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 896-तीन/2005 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आ के हस्ताक्षर
3.10.16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 7/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनॉक 21-4-2005 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण सारॉश यह है कि कस्वा लहार स्थित भूमि सर्वे कमांक 5464 एंव 5465 का अॅशभाग 11600 वर्गफीट विवादित है क्योंकि मोहनलाल ने एक आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 के अंतर्गत उक्तांकित भूमि के मद परिवर्तन हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर से अधीक्षक भूमि परिवर्तन भिण्ड ने जॉच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी लहार को प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी लहार ने प्रकरण कमांक 314/1996-97 अ-59 (प्र0क0 565/1996-97X172) में पारित आदेश दिनांक 30-9-1997 से पुर्ननिर्धारण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध मुरारीलाल ने अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष अपील कमांक 89/99-2000 प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर भिण्ड ने आदेश दिनांक 18-9-2002 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण सभी हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर गुणदोष के आधार पर पुनः आदेश पारित करने हेतु	

प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 7/2002–03 प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनॉक 21–4–2005 से अपर कलेक्टर का आदेश दिनॉक 18–9–2001 निरस्त कर दिया तथा अनुविभागीय अधिकारी लहार के आदेश दिनांक 30–9–1997 को स्थिर रखा। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी हैं।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी तथा शासन के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक को बार–बार सूचना पत्र भेजे गये। सम्यक सूचना निर्वहन की ,जानकारी के अभाव के कारण रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेजी गई किन्तु वह अनुपस्थित हैं जिसके कारण अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक तथा शासन के पैनल लायर व्दारा प्रस्तुत तर्को के प्रकाशन में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह पाई गई है कि वाद विचारित भूमि का मूल भूमिस्वामी मुरारीलाल है और यह विवाद मुरीलाल एंव मोहनलाल के बीच है। मुरारीलाल की प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान मृत्यु हो चुकी है उनकी पत्नि श्रीमती फूलवती की भी मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान दिलीप कुमार एंव मोहनलाल के बीच विचाराधीन निगरानी है। प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कस्वा लहार स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 5464 एंव 5465 का अॅशभाग 11600 वर्गफीट के मद परिवर्तन हेतु मुरारीलाल व्दारा दिये गये आवेदन पर

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 896-तीन/2005 निगरानी

जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पंजीबद्ध प्रकरण में स्व0मोहनलाल ने दिनांक 17-2-1997 को आपत्ति प्रस्तुत की थी कि तहसील लहार में प्रकरण कमांक 3/1989-90 अ-6 में कब्हजे का विवाद विचाराधीन है इसलिये डायवर्सन न किया जाय, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी लहार ने प्रकरण कमांक 445/95-95 अ 59 (प्रकरण कमांक 444/96-97 : 172) आदेश दिनांक 29-4-97 से निरस्त कर दिया। इसके वाद भी मोहनलाल के आवेदन पर पुर्न प्रकरण कमांक 314/1996-97 अ-59 (प्र0क0 565/ 1996 - 97X172) दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30-9-1997 से उसी भूमि पर पुर्ननिर्धारण स्वीकार किया है, जिसके कारण आपत्तिकर्ता को सुने जाने हेतु अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 18-9-02 से प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है, परन्तु अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 7/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनॉक 21-4-2005 से अपर कलेक्टर के विधिवत् पारित आदेश दिनांक 18-9-02 को निरस्त करने में भूल की है। 5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने मान0व्यवहार न्यायालय	

प्र0क0 896-तीन/2005 निगरानी के आदेश दिनांक 12-8-2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर बताया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है इसलिये तद्नुसार निर्णय किया जावे। चूँकि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना का आदेश दिनॉक 21-4-2005 त्रृटिपूर्ण पाये जानें से निरस्त है एंव अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 18-9-02 यथावत् रहने से प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को वापिस होगा । अतएव आवेदक मान0व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 12-8-2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि अथवा अन्य अभिलेख अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर तदाशय की कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है । अनावेदक को भी अपना बचाव प्रस्तुत कश्ने का अवसर प्राप्त है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 7/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनॉक 21-4-2005 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अपर कलेक्टर भिण्ड व्दारा अपील कमांक 89/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 18-9-2002 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य